



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 122 /2025

दिनांक- 03.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 03.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना बिलरियागंज: हत्या के प्रयास में एक अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 22.03.2025 को सुर्यप्रकाश मिश्र पुत्र स्व० रामचन्द्र मिश्र निवासी सेठारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को व आवेदक के परिजनो को विपक्षीगण द्वारा लाठी डण्डा लेकर दरवाजे पर चढ़ कर कैमरा तोड़ देना व जान से मारने की नियत से गाली गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारना पीटना व दुकान में तोड़ फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 87/2025 धारा 3(5), 324(5), 333, 109, 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस बनाम 1.प्रदीप मिश्र उम्र करीब 45 वर्ष आदि 10 नफर निवासीगण पटवध सैरैया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ व 10.तीन लोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 03.04.2025 को वीडियो क्लिप व अन्य संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्त नितिन पाठक उर्फ अमित पाठक पुत्र अद्याशंकर पाठक निवासी पटखौली थाना बिलरियागंज आजमगढ़ की गिरफ्तारी किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.04.2025 को उ०नि० श्री लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा वीडियो क्लिप व अन्य संकलित साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्त नितिन पाठक उर्फ अमित पाठक पुत्र अद्याशंकर पाठक निवासी पटखौली थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के घर पर दविश दिया गया। अभियुक्त घर के दरवाजे पर मौजूद मिला जिसे समय करीब 12.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है।



02.थाना बिलरियागंज: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये गोवंशी पशुओ की चोरी कर उनका वध कर गोमांश की तस्करी करना । जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार गैंग चार्ट दिनांक 10.03.25 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित करना व दाखिला गैंग चार्ट व तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 97/25 धारा 3(1)/2(ख) की उपधारा (17) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) बनाम गैंग लीडर तैय्यब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा अपने सह अभियुक्त/सदस्य 2.अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 3.झिनक उर्फ फैजान पुत्र अब्दुल कदर निवासी मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 4.आमिद हम्जा पुत्र महमूद अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत होना ।

गिरफ्तारी की विवरण –

आज दिनांक 03.04.25 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त झिनक उर्फ फैजान पुत्र अब्दुल कदर निवासी मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को घर ग्राम मुहम्मदपुर से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास -

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1. 32/14 354, 323, 504, 506, 356, 411, 326 भादवि व 3(I)(XI)SC/ST Act. बिलरियागंज आजमगढ़
2. 106/15 147, 148, 149, 308, 323, 324, 352, 506भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
3. 122/23 3/5ए/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 1960बिलरियागंज आजमगढ़
4. 293/23 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट बिलरियागंज आजमगढ़
5. 271/24 303(2), 317(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 बिलरियागंज आजमगढ़
6. 97/25 3(1)/2(ख)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट बिलरियागंज आजमगढ़



03.थाना दीदारगंज: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

अवगत करना है कि दि० 13.03.2025 को वादी मुकदमा के लिखित तहरीर बावत वादी की बहन को विपक्षी सूरज गौतम पुत्र दिनेश उर्फ दुमानी निवासी चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०स० 69/25 धारा 87,137(2) बीएनएस बनाम 1. सूरज गौतम पुत्र दिनेश उर्फ दुमानी निवासी ग्राम चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 03.04.2025 को उ०नि० रूपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुरज उपरोक्त को सुरहन मोड़ (बन्धवा तिराहा) के पास से समय करीब 10.30 बजे नियमानुसार बन्धवा तिराहा सुरहन मोड़ से हिरासत पुलिस में लिया गया



04.थाना गम्भीरपुर: अपहरण के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व अपहता बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.03.2025 को वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी पुनीत पुत्र ओमप्रकाश ग्राम.मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 76/2025 धारा-137(2),87 बीएनएस** बनाम पुनीत s/o ओमप्रकाश सा.मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.04.2025 को **उ0नि0 योगेश सरोज**, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **पुनीत पुत्र ओमप्रकाश ग्राम.मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** व अपहत को मुखबिरी सूचना पर समय करीब 11.05 से थनौली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।



05.थाना मुबारकपुर: प्राथमिक विद्यालय से चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी के समरसिबल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि **दिनांक 25.03.2025** को प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय जलालपुर थाना क्षेत्र मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव पुत्र सुरेश लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा लिखित रूप से सूचना दी गयी कि प्राथमिक विद्यालय उपरोक्त में 24/25.03.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा विद्यालय परिसर में लगा हुआ समरसिबल पम्प चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0 125/2025 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राघवराम यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार के निर्देशन में **उ0नि0 राघवराम यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान नरांव पक्की सड़क से चलालपुर के पास से एक व्यक्ति **कैफ उर्फ पाशा पुत्र परवेज अहमद निवासी मिल्लत नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** उम्र करीब 20 वर्ष को चोरी के समरसिबल के साथ समय करीब 23.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



06.थाना अहरौला:अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.04.2024 को **उ0नि0 विश्राम गुप्ता** मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान इसहाकपुर पुलिया के पास से एक व्यक्ति **रिक्की सिंह उर्फ विवेक सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी पैडिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़** उम्र 25 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 13.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद **अवैध तमंचा व 01 कारतूस** को कब्जा पुलिस में लिया गया तथा बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 133/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 107/2015 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 214/2018 धारा 323/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 217/2019 धारा 302 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 427/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 144/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।

